न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल,ग्वा

रिवीजन प्रं.क. पी/2016

नि ग -3399-PBR/16

1. श्रीमति हेमा उपाध्याय 38 वर्ष पुत्री श्री रमेशचन्द्र शर्मा, पत्नी श्री दिनेश उपाध्याय निवासी–गुलजारी का बगीचा, पोस्ट ऑफिस के पीछे,बस स्टेण्ड सीहोर
2. श्रीमति ज्योति शर्मा 36 वर्ष पुत्री श्री रमेशचन्द्र शर्मा, पत्नी श्री अनिल शर्मा निवासी–42 कैलाश नगर फेस–3 सेमरा गेट,गोविन्दपुरा भोपाल ....रिवीजनकर्तागण

विरूध्द

1. अमित शर्मा वयस्क पुत्र श्री रमेशचन्द्र शर्मा,
2. श्रीमति डिम्पल शर्मा वयस्क पत्नी अमित शर्मा, दोनो निवासी–म.न. 8 पीपल वाली गली, दुर्गा चौक बरखेडी भोपाल ....अनावेदकगण

27.9.16 को

राजस्व रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

रिवीजनकर्ता की ओर से सविनय निवेदन है :–

N.F. 26.10.16

विद्वान न्यायालय तहसीलदार तहसील गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा रा.प्र.क. 68ए6/14–15 मे पारित आदेश दिनांक 23.08.2016 जिसके द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 44 दिनांक 25.09.2011 के पूर्व की स्थिति अभिलेख में कायम किये जाने का आदेश पारित किया जिससे व्यथित एंव विक्षुब्ध होकर सुदृढ तथ्यों एंव ठोस वैधानिक आधारो पर रिवीजन अविलम्ब सादर समयावधि में प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3399–पीबीआर/16 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–10–2016	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 23–8–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के पालन में नामांतरण पंजी कमांक 44 पर पारित आदेश दिनांक 25–9–2011 के पूर्व की स्थिति कायम की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	